कार्य एवं अभिभाषक के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग भोपाल

PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/1621 राजस्व निगरानी/अपील क्र. ---/17

36

साहबसिंह पुत्र धन्नूलाल उम्र 50 वर्ष,
निवासी/कृषक ग्राम खमरियाकला तहसील बाडी
जिला रायसेन (म0प्र0) - - - - - - - - निगरानीकर्ता

विरुद्ध

रामरतन पुत्र मिश्रीलाल उम्र वयस्क जाति किरार
निवासी/कृषक ग्राम खमरियाकला तहसील बाडी
जिला रायसेन (म0प्र0) - - - - - - - उत्तरदाता

प्रेजेंटेड अभिभाषक द्वारा 31-5-17 को भोपाल में प्रस्तुत किया। 31-5-17

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है :-

निगरानीकर्ता द्वारा एक निगरानी माननीय अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय रायसेन के यहाँ प्रस्तुत किया गया जो कि प्र0क्र0 8/निगरानी/अपर कलेक्टर/09-10 " साहबसिंह - विरुद्ध- रामरतन " के नाम से पंजीवद्ध होकर दिनांक 20-4-2011 को आदेश पारित किया गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। चूंकि अपर कलेक्टर महोदय रायसेन के यहाँ उक्त निगरानी इसलिये प्रस्तुत की गई थी कि नायव तहसीलदार टप्पा भारकच्छकला तहसील बाडी के यहाँ प्रचलित प्रकरण क्रमांक 10/अ-12/08-09 " रामरतन - विरुद्ध- साहबसिंह " मे पारित आदेश दिनांक 17-6-09 से दुखित होकर प्रस्तुत की गई थी।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/1621 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–6–2017	आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 31–5–2017 को लगभग 5 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण आवेदक का अनपढ़ होना दर्शाया गया है, जो कि समाधानकारक कारण नहीं है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	